न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

पुनरीक्षण प्र0क्र0. निग/2856/PBR/15

आज्ञानुसार पाठक, आवेदक 28-8-15 को

रामगोपाल चिमानिया आ0 भोलाराम चिमानिया

व्यवसाय कास्तकारी उम्र लगभग 64 वर्ष निवासी-

वार्डनंबर-3 सरदार पटेल पुरा पुरानी इटारसी,

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद(म0प्र0) ----------पुनरीक्षणकर्ता/आ

विरूद्ध

1. कमाण्डेन्ट, सी0पी0ई0 इटारसी,

तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद(म0प्र0)

2. रक्षा सम्पदा अधिकारी, रक्षा सम्पदा कार्यालय

जबलपुर तहसील व जिला जबलपुर (म0प्र0)

3. प्रमुख रक्षा सचिव, रक्षा विभाग, भारत सरकार

नई दिल्ली

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय होशंगाबाद

जिला होशंगाबाद म0प्र0 ----------उत्तरवादीगण

(~~अपील- अंतर्गत धारा~~) पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं

अपीलार्थी / पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

यह ~~अप~~ पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापूरम संभाग होशंगाबाद के अपील प्रकरण क्रमांक 78/अपी 2012-2013 जिसके पक्षकार कमाण्डेन्ट सी0पी0ई0 इटारसी बनाम रामगोपाल चिमानिया में पारित आदेश दिनांक 04/07/2015 से क्षुब्ध

Noted 22/9

निरंतर....2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 2856 –पीबीआर/2015 जिला –होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–09–2015	आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में आवेदक पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2– आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इटारसी के आदेश दिनांक 5–12–2012 को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि वह रक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण कर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करें । स्पष्ट है कि आयुक्त के आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदक को सुनवाई व पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	